संख्या-21 /2023/2044 /001-9-7099-149-2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रामपुर, बस्ती, अमेठी, जालौन, मथुरा, झाँसी, सिद्धार्थनगर, हरदोई, कानपुर देहात, शाहजहांपुर, सुलतानपुर, आगरा, देवरिया, बदायू, पीलीभीत।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 06 अक्टूबर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023- 24 में शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों में अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के विषयगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में "शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना" के अन्तर्गत नगरीय निकायों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में अनुदान संख्या 37 में प्राविधानित धनराशि में से नगर पालिका परिषद, मिलक जनपद रामपुर/नगर पालिका परिषद, गौरीगंज जनपद अमेठी/नगर पालिका परिषद, कोसीकला जनपद मथुरा/नगर पालिका परिषद, सण्डीला जनपद हरदोई/नगर पालिका परिषद, पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर एवं नगर पंचायत, सैफनी जनपद रामपुर/नगर पंचायत, केमरी जनपद रामपुर/नगर पंचायत, कप्तानगंज जनपद बस्ती/नगर पंचायत, मुसाफिरखाना जनपद अमेठी/नगर पंचायत, नदीगॉव जनपद जालौन/नगर पंचायत, मोठ जनपद झाँसी/नगर पंचायत, बढ़नीचाफा जनपद सिद्धार्थनगर/नगर पंचायत, रूरा जनपद कानपुर/नगर पंचायत, लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर/नगर पंचायत, खेरागढ़ जनपद आगरा/नगर पंचायत, मदनपुर जनपद देवरिया/नगर पंचायत, तरकुलवा जनपद देवरिया/नगर पंचायत, कादीपुर जनपद सुल्तानपुर/नगर पंचायत, मुडिया जनपद बदायू/नगर पंचायत, बरखेडा जनपद पीलीभीत में स्थित अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण/विकास हेतु प्रस्तावित कार्यो की लागत ₹ **663.60** लाख **(रू छः करोड़ छत्तीस लाख साठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि **₹ 318.30** लाख **(रू तीन करोड़ अठ्ठारह लाख तीस हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने पर मा. राज्यपाल महोदया निम्नलिखित विवरण/शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है -:

(धनराशि रूपया लाख में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्राप्त आगणन में लागत	यथा प्रस्तावित/मानकीकरण के पश्चात अनुमन्य धनराशि लागत	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रामपुर	नगर पालिका	मोहल्ला खाता कलाँ (गाटा	39.83	39.83	19.915

		परिषद मिलक	संख्या-649) में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।			
2	रामपुर	नगर पंचायत, सैफनी	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	28.89	28.79	14.395
3	रामपुर	नगर पंचायत, केमरी।	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	28.89	28.79	14.395
4	बस्ती	नगर पंचायत, कप्तानगंज।	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	29.50	28.79	14.395
5	अमेठी	नगर पंचायत, मुसाफिरखाना।	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	28.79	28.79	14.395
6	अमेठी	नगर पालिका परिषद, गौरीगंज	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	85.00	42.62	21.31
7	जालौन	नगर पंचायत, नदीगॉव।	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	29.87	28.79	14.395
8	मथुरा	नगर पालिका परिषद, कोसीकलां।	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	49.46	42.62	21.31
9	झॉसी	नगर पंचायत, मोठ।	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	80.94	28.79	14.395
10	सिद्धार्थनगर	नगर पंचायत, बढनीचाफा।	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	28.79	28.79	14.395
11	हरदोई	नगर पालिका परिषद, सण्डीला।	रामतारा अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	49.82	42.62	21.31
12	कानपुर देहात	नगर पंचायत, रूरा।	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	39.66	28.79	14.395
13	शाहजहांपुर	नगर पालिका परिषद, पुवायॉ।	जेवा रोड पर स्थित अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	38.36	38.36	19.18
14	सुलतानपुर	नगर पंचायत, लम्भुआ।	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	31.19	28.79	14.395
15	आगरा	नगर पंचायत, खेरागढ़।	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	29.11	28.79	14.395
16	देवरिया	नगर पंचायत, मदनपुर	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	30.23	28.79	14.395
17	देवरिया	नगर पंचायत, तरकुलवा	पचफेडा में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	28.59	28.59	14.295
18	सुल्तानपुर	नगर पंचायत, कादीपुर	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	31.19	28.79	14.395
19	बदायू	नगर पंचायत, मुडिया	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	27.69	27.69	13.845
20.	पीलीभीत	नगर पंचायत, बरखेडा	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	29.70	28.79	14.395
कुल योग				765.50	636.60	318.30

(रू तीन करोड़ अठ्ठारह लाख तीस हजार मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1)स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्तारक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य/बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2)योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-5251/नौ-5-2014-329सा0/2014, दिनांक 09.09.2014 एवं संबंधित शासनादेश दिनांक 05.01.2015, दिनांक 12.06.2015 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में शासनादेश संख्या-2333(1)/नौ-7-18-35(ज)/2018, दिनांक 21.01.2019 द्वारा निर्धारित माडल आगणन के अनुसार कार्य पर व्यय की जायेगी। नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु क्रमशः रू0 42.62 लाख व रू0 28.79 लाख की प्रारम्भिक आगणन/माडल को माडल मानक के रूप में निर्धारित किया गया है, जो कि नगर विकास विभाग की वेब-साईट urbandevelopment.up.nic.in पर उपलब्ध है।

(3)प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय 12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य. प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(4)जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कराया जाये। कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूमि निर्विवादित है। कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त भूमि के विवादित पाये जाने तथा कार्य कराये जाने पर व्यय धनराशि को शासकीय धनराशि का अपव्यय मानते हुए उसकी वसूली संबंधित नगर निकाय से कराकर राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(5)सामग्री/सम्पूर्ति का क्रय वित्त विभाग के क्रयादेशों के अनुसार किया जाये। यथावश्यक सामग्री की पूर्ति टेण्डर/रेट कान्टिरेक्ट्/डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर ही किया जाय। कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(6) नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से धनराशि रू0 25.00 लाख तक के कार्यों का third party inspection (गुणवत्ता निरीक्षण) पी0डब्ल्यू0डी0/आर0ई0एस0 के अवर अभियन्ता स्तर से तथा धनराशि रू0 25.00 लाख के अधिक के कार्यों का third party inspection (गुणवत्ता निरीक्षण) पी0डब्ल्यू0डी0/आर0ई0एस0 के सहायक अभियन्ता स्तर से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही अधिशासी अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(7)स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8)प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। कार्य की मदों में परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

(9)स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्यंस्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(10)लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11)निकाय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(12)कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(13)व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार विवरण शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को दिनांक 31.03.2024 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

(14)प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्प्रीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।

(15)वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट् शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,18,30,000 (रुपये तीन करोड़ अठारह लाख तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2235608000300 शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Signed by कल्यान बनर्जी
Date: 06-10-2023 18:33:44
Reason: Approved
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 21 /2023/ 2044(1) /001-9-7099-149-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, रामपुर, बस्ती, अमेठी, जालौन, मथुरा, झॉसी, सिद्धार्थनगर, हरदोई, कानपुर देहात, शाहजहांपुर, सुलतानपुर, आगरा, देवरिया, बदायू, पीलीभीत।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. महापौर/अध्यक्ष, संबंधित नगर निकाय।
6. संबंधित अधिशासी अधिकारी, उ.प्र.।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

(10)लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11)निकाय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(12)कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(13)व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार विवरण शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को दिनांक 31.03.2024 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

(14)प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्प्रीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।

(15)वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट् शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,18,30,000 (रुपये तीन करोड़ अठारह लाख तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2235608000300 शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 21 /2023/ 2044(1) /001-9-7099-149-2023, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, रामपुर, बस्ती, अमेठी, जालौन, मथुरा, झॉसी, सिद्धार्थनगर, हरदोई, कानपुर देहात, शाहजहांपुर, सुलतानपुर, आगरा, देवरिया, बदायू, पीलीभीत।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. महापौर/अध्यक्ष, संबंधित नगर निकाय।
6. संबंधित अधिशासी अधिकारी, उ.प्र.।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

Signed by कल्यान बनर्जी
Date: 06-10-2023 18:34:21
Reason: Approved
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-06/10/2023

प्रेषण संख्या:- 21
आवंटन आदेश संख्या:- 001-21-2023-2044-001-9-7099-149-2023
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय)
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
800 - अन्य व्यय
03 - शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मथुरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2131000 2131000	2131000 2131000
2	आगरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1439500 1439500	1439500 1439500
3	बदायूं-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1384500 1384500	1384500 1384500
4	शाहजहांपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1918000 1918000	1918000 1918000
5	पीलीभीत-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1439500 1439500	1439500 1439500
6	रामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4870500 12542100	4870500 12542100
7	झाँसी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1439500 1439500	1439500 1439500
8	जालौन-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1439500 1439500	1439500 1439500
9	बस्ती-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1439500 1439500	1439500 1439500
10	देवरिया-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2869000 5460100	2869000 5460100
11	हरदोई-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2131000 4262000	2131000 4262000
12	सुल्तानपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2879000 2879000	2879000 2879000
13	कानपुर देहात-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1439500 1439500	1439500 1439500
14	सिद्धार्थनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1439500 2879000	1439500 2879000
15	अमेठी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3570500 3570500	3570500 3570500
	योग	वर्तमान प्रगामी	31830000 45663200	31830000 45663200

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ अठारह लाख तीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ छप्पन लाख तिरेसठ हजार दो सौ

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव